निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0 प्र0
2–संग्रू मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक– 450 – 590 /बजट–आयोजनेत्तर–खा0प्र0–2010–11 दिनांक 4 मई, 2010.

1– लैण्डस्कैप आर्कीटेक्ट/आहरण संवितरण अधि0,लखनऊ
2–खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, सहारनपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, देवीपाटन (मु0) गोण्डा, आजमगढ़ एवं बस्ती।
3–प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा, फैजाबाद, बरेली, इलाहाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद एवं वाराणसी।
4–फल संरक्षण अधिकारी, लखनऊ।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान सं0–10 के अर्न्तगत आयोजनेत्तर पक्ष की योजना "2401–119–04–09–खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजनार्न्तगत बजट आवंटन विषयक।

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0–199/58–2–2010–300 (4)/2009 दिनांक 29 अप्रैल, 2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान सं0–10 के अर्न्तगत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर–119–बागवानी तथा वनस्पति की फसलें–04–फल–09–खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना में वेतन–भत्ते की मदों में कुल रू0–13,46,55 हजार मात्र का आवंटन निम्न विवरणानुसार प्रदत्त किया जा रहा है।

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम (जिसे आवंटन प्रदत्त किया जा रहा है)	कोड संख्या/मद का नाम 01- वेतन	03- मँहगाई भत्ता	06- अन्य भत्ते	योग (धनराशि हजार रूपये में)
1	फल संरक्षण अधिकारी, लखनऊ	11469.0	3785.0	1310.0	**16564.0**
2	प्रधानाचार्य,राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, बरेली	6500.0	2145.0	689.0	**9334.0**
3	प्रधानाचार्य,राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, मेरठ	6300.0	2080.0	820.0	**9200.0**
4	खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, सहारनपुर	2700.0	890.0	180.0	**3770.0**
5	प्रधानाचार्य,राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, मुरादाबाद	5870.0	1937.0	590.0	**8397.0**
6	प्रधानाचार्य,राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, झाँसी	4900.0	1617.0	421.0	**6938.0**
7	खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, चित्रकूट	2980.0	983.0	250.0	**4213.0**
8	प्रधानाचार्य,राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	5700.0	1881.0	490.0	**8071.0**
9	प्रधानाचार्य,राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, कानपुर	8000.0	2640.0	780.0	**11420.0**
10	प्रधानाचार्य,राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी	6100.0	2013.0	650.0	**8763.0**
11	खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, मिर्जापुर	2500.0	825.0	160.0	**3485.0**
12	खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, आजमगढ़	2980.0	983.0	195.0	**4158.0**
13	प्रधानाचार्य,राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर	6300.0	2079.0	850.0	**9229.0**
14	खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, बस्ती	3400.0	1122.0	175.0	**4697.0**
15	प्रधानाचार्य,राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, फैजाबाद	7016.0	2315.0	400.0	**9731.0**
16	खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, देवीपाटन, (मु0) गोण्डा	2700.0	891.0	170.0	**3761.0**
17	प्रधानाचार्य,राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा	7950.0	2624.0	700.0	**11274.0**
18	लैण्डस्कैप आर्कीटेक्ट/आहरण संवितरण अधि0,लखनऊ	1150.0	380.0	120.0	**1650.0**
	योग–	**94515.0**	**31190.0**	**8950.0**	**134655.0**

(आवंटित धनराशि रू0–तेरह करोड़ छियालीस लाख पचपन हजार मात्र)

कृपया उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय उक्त शासनादेश में दिये गये निम्नानुसार शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही अपने व्यय को

03/05/10

RPM

क्रमशः—2

आवंटित धनराशि की सीमा तक नियन्त्रित भी रक्खें। उपरोक्तानुसार किया जा रहा बजट आवंटन, बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ संख्या–1 पर अंकित है।

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत है। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृति की प्रत्याशा में कदापि न किया जाये।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में दी गई गयी शर्तो एवं अनुबन्धों का अनुपालन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–संवितरण अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(रंजन मिश्र) 03/05/10
वित्त नियन्त्रक।

पृष्ठांकन संख्या– 450– 520 /उक्त दिनांक,

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2– सम्बन्धित जनपदों के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

3– सम्बन्धित उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।

4– सम्बन्धित आहरण–संवितरण अधिकारी, उ0 प्र0।

5– संयुक्त निदेशक (फ0सं0), लखनऊ।

6– आवंटन पत्रावली/गार्ड फाईल।

(रंजन मिश्र) 03/05/10
वित्त नियन्त्रक।

RPM